भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
''खनिज भवन''
भोपालपानी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(ई–मेल आई0डी0 dir.ukdgm@gmail.com)

समस्त जिला खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
उत्तराखण्ड।

संख्याः 388/ख0अनु0–VII (I)/भू0खनि0नि0/2025–26, दिनांक 22 अप्रैल 2025

विषयः सरकारी निर्माण कार्यदायीं संस्थाओं के द्वारा उत्तराखण्ड उप–खनिज परिहार नियमावली–2023 की प्रथम अनुसूची के प्रावधानानुसार रॉयल्टी व अन्य देयकों को जमा कराये जाने के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 977/VII–A–1/2023–24 ख/2007, दिनांक 16 जून 2023 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली 2023 की प्रथम अनुसूची के क्रम संख्या 10 मे कार्यदायी संस्थाओं सहित समस्त प्रकार की खनन अनुज्ञाओं हेतु (साधारण मिट्‌टी को छोड़कर) स्वामित्व (रॉयल्टी की दर) रू0 7.00 प्रति कुन्टल तथा रू0 7.00 प्रति कुन्टल अतिरिक्त रूप से निर्धारित किया गया है, जबकि संज्ञान मे आया है कि कतिपय जनपदों मे अधिकांश कार्यदायी संस्थाओं/विभागों के द्वारा रू0 07/– प्रति कु0 अर्थात् रू0 70/– प्रति टन की दर से रॉयल्टी जमा करायी जा रही है। उक्त के अतिरिक्त सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं/विभागों के द्वारा क्षतिपूर्ति व जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास की धनराशि भी जमा नही करायी जा रही है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने–अपने जनपदों मे सरकारी निर्माण कार्यदायीं संस्थाओं से उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली 2023 की प्रथम अनुसूची के क्रम संख्या 10 के प्रावधानानुसार रॉयल्टी व अन्य देयकों को निर्धारित विभागीय लेखा शीर्षक मे जमा कराने तथा जिनके द्वारा पूर्व मे उक्त नियमावली के प्रावधानानुसार रॉयल्टी व अन्य देयक जमा नही किया गया है, से नियमावली के प्रावधानानुसार रॉयल्टी व अन्य देयकों की वसूली करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
22/4/25
(राजपाल लेघा)
निदेशक।

पृष्ठांक : /ख0अनु0–VII (I)/भू0खनि0नि0/2025–26, तद्‌दिनांकित।
प्रतिलिप : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त के सम्बन्ध मे अपने स्तर से भी सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

(राजपाल लेघा)
निदेशक।

Scanned with OKEN Scanner